



आपसी समझौता ज्ञापन (MOU)

प्रथम पक्ष : राजकीय पॉलिटेक्निक, नरेंद्रनगर
द्वितीय पक्ष: वर्वजेन टेक प्रा. लि.

(An ISO 9001:2015, MSME & MCA approved company.)



यह आपसी समझौता ज्ञापन दिनांक 05/05/ 2025 को संपन्न किया गया है।

हस्ताक्षर तथा मोहर (प्रथम पक्ष)



हस्ताक्षर तथा मोहर द्वितीय पक्ष

पृष्ठभूमि:

- (क) प्रथम पक्ष एक उच्च शिक्षा संस्थान है जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है।
(ख) द्वितीय पक्ष एक निजी संस्था है जो कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यों में संलग्न है।
(ग) दोनों पक्ष आपसी सहयोग द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना चाहते हैं।

धारा 1: सहयोग का दायरा

- 1.1 दोनों पक्ष आपसी संवाद स्थापित करेंगे जिससे प्रशिक्षण, इंटरनशिप, कार्यशालाएं एवं तकनीकी कार्यक्रम संचालित किए जा सकें।
1.2 द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के छात्रों हेतु प्रशिक्षण सामग्री, विशेषज्ञता तथा औद्योगिक परामर्श उपलब्ध कराएगा।
1.3 प्रथम पक्ष के शिक्षकगण एवं छात्र द्वितीय पक्ष की प्रयोगशालाओं, औद्योगिक स्थलों पर विजिट एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
1.4 द्वितीय पक्ष, AICTE की इंटरनशिप पॉलिसी के अनुसार इंटरनशिप एवं प्लेसमेंट सहायता प्रदान करेगा एवं AICTE पोर्टल पर पंजीकरण करेगा।
1.5 द्वितीय पक्ष समय-समय पर छात्र/शिक्षक विकास हेतु कार्यशालाएं, गेस्ट लेक्चर तथा FDP आयोजित करेगा।
1.6 कोई भी वित्तीय लेन-देन पृथक सहमति से किया जाएगा। **इस MOU में कोई भी अनिवार्य वित्तीय उत्तरदायित्व शामिल नहीं है।**

धारा 2: प्रशिक्षण आवश्यकता प्रेषण प्रणाली

- 2.1 प्रथम पक्ष को जब भी प्रशिक्षण/इंटरनशिप/कौशल विकास कार्यक्रम की आवश्यकता हो, वह प्राथमिकता के आधार पर द्वितीय पक्ष को सूचित करेगा। यह केवल गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु होगा, और किसी प्रकार का दबाव नहीं माना जाएगा।
2.2 इस MOU के अंतर्गत द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को समय-समय पर प्रस्ताव एवं योजनाएं भेज सकेगा, जिन्हें आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

धारा 3: बौद्धिक संपदा

इस समझौते के अंतर्गत दोनों पक्षों की बौद्धिक संपदा की कोई भी जानकारी, रचना, डिज़ाइन, या विचार बिना लिखित अनुमति के साझा नहीं किया जाएगा।

धारा 4: वैधता और समाप्ति

- 4.1 यह समझौता तब तक वैध रहेगा जब तक दोनों पक्ष आपसी सहमति से इसे समाप्त नहीं करते।
4.2 कोई भी पक्ष 30 दिनपूर्व लिखित सूचना देकर इसे समाप्त कर सकता है।



धारा 5: आपसी संबंध की प्रकृति

5.1 यह समझौता किसी साझेदारी (PARTNERSHIP) का रूप नहीं लेता। दोनों पक्ष स्वतंत्र संस्थाएं हैं और अपने नाम से ही कार्य करने के लिए अधिकृत हैं।

विवाद समाधान

कोई भी विवाद होने पर उसे मध्यस्थता (ARBITRATION) द्वारा हल किया जाएगा।

सहमति

हस्ताक्षर तथा मोहर (प्रथम पक्ष)

प्रथम पक्ष की ओर से:

नाम : श्री. ओंकार शर्मा
पता : राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर (टीजी)
जिला: नई टिहरी उत्तराखंड
संपर्क : 01378-227311
ईमेल : GP.NNGR@GMAIL.COM
वेबसाइट : WWW.GPNNGR.ORG.IN

साक्षीगण:

साक्षी 1: _____
साक्षी 2: _____

हस्ताक्षर तथा मोहर (प्रथम पक्ष)

द्वितीय पक्ष की ओर से:

नाम: श्री प्रकज कुमार सिंह
पता: मुख्यालय: वर्वजेन टेक प्रा. लि., डी-5, 26 ए,
मीडो प्लाजा, राजपुर रोड, देहरादून 248001
संपर्क: +91-9761501515, 7454890599
ईमेल: INFO@VERVEGEN.COM
वेबसाइट: WWW.VERVEGENEDTECH.COM

साक्षीगण:

साक्षी 1: _____
साक्षी 2: _____